चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

कुलाधिपति

CHANCELLOR

राज भवन
लखनऊ
RAJ BHAVAN
LUCKNOW

संख्याः ई–1907/जी0एस0

दिनांक : 19 मार्च, 2024

आदेश

1. प्रत्यावेदक डॉ0 राजीव राठौर, पूर्व सह आचार्य एवं वर्तमान सहायक आचार्य, रसायन विभाग, मेरठ कॉलेज, मेरठ (आगे 'महाविद्यालय') द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित याचिका रिट ए संख्याः14500 ऑफ 2022 में पारित मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 22.09.2022 के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (आगे 'अधिनियम') की धारा–68 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक 03.10.2022 के माध्यम से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (आगे 'विश्वविद्यालय') द्वारा उक्त अधिनियम, 1973 की धारा 35(2) के अन्तर्गत पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 25.08.2022 को निरस्त किये जाने एवं सह आचार्य के पद पर पुनर्स्थापित/बहाल करते हुये समस्त परिणामी लाभ दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत आदेश दिनांक 25.08.2022 के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा प्रबन्ध समिति के द्वारा प्रत्यावेदक के विरुद्ध प्रस्तावित दण्ड को अधिनियम, 1973 की धारा–35(2) के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया है।

2(क). प्रत्यावेदक का मुख्यतः कथन है कि महाविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग में उसकी नियुक्ति वर्ष 2006 में सहायक आचार्य के रूप में हुई थी तथा वर्ष 2018 में उसे सह आचार्य पद पर प्रोन्नत किया गया। प्रबन्ध समिति के आदेश दिनांक 02.12.2020 के द्वारा प्रत्यावेदक को असत्य व दुर्भावनापूर्ण आधारों पर निलंबित कर श्री अरूण कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिनकी सेवाएं मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 16.12.2018 को गंभीर कदाचार व भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आधार पर समाप्त कर दी गयी थीं, को जॉच अधिकारी नियुक्त करके प्रत्यावेदक के विरूद्ध विभागीय जॉच कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी। जॉच अधिकारी के द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध बचाव और सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना ही प्रत्यावेदक को सह आचार्य के पद से सहायक आचार्य के पद पर पदावनत किये जाने की संस्तुति कर दी गयी। जॉच आख्या दिनांक 19.03.2021 के आधार पर महाविद्यालय द्वारा प्रत्यावेदक को सह आचार्य से सहायक आचार्य पद पर

पदावनत करने का निर्णय लेकर दिनांक 31.03.2021 को उक्त संस्तुति कुलपति के अनुमोदनार्थ प्रेषित की गयी, जिसे कुलपति द्वारा प्रत्यावेदक द्वारा सौंपे गये प्रासंगिक तथ्यों (साक्ष्यों) पर विचार किये बिना अधिनियम, 1973 की धारा–35(2) के अन्तर्गत अनुमोदित कर दिया गया। प्रत्यावेदक द्वारा प्रबन्ध समिति के उक्त निर्णय एवं उस पर कुलपति के अनुमोदनादेश दिनांक 25.08.2022 को रिट ए नं0–14500 ऑफ 2022 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में चुनौती दिये जाने पर मा0 न्यायालय द्वारा अपने निर्णयादेश दिनांक 22.09.2022 द्वारा वैधानिक उपचार अर्थात अधिनियम, 1973 की धारा 68 की उपलब्धता के दृष्टिगत उक्त याचिका निरस्त कर दिये जाने पर प्रत्यावेदक द्वारा तदनुसार विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन कुलाधिपति के समक्ष वर्तमान प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

2(ख). प्रत्यावेदक का कथन है कि कॉलेज प्रबन्धन अथवा जॉच अधिकारी के किसी आदेश या किसी अन्य प्रकार की कोई भी प्रति प्रत्यावेदक को नहीं दी गयी। आरोप–पत्र महाविद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। अनुमोदन के अभाव में जॉच अधिकारी द्वारा जारी आरोप–पत्र अनधिकृत और अवैध होने के कारण उसके विरूद्ध जॉच नहीं की जा सकती थी। जॉच अधिकारी के पत्र दिनांक 27.01.2021 द्वारा सूचित दिनांक 06.02.2021 के अतिरिक्त पूंछतांछ के लिए निर्धारित किसी अन्य दिनांक का खुलासा नहीं किया गया और न ही उसे जॉच के स्थान, तिथि समय और उद्देश्य आदि के बारे में सूचित किया गया और जॉच कार्यवाही प्रत्यावेदक के बिना की गयी है। कॉलेज प्रबन्धन द्वारा लगाये गये आरोपों के समर्थन में तीन गवाहों (1) डा0 सुभाष चन्द, (2) श्री विनीत कुमार और (3) डा0 बी0पी0 यादव के बयान लिये गये थे, लेकिन जॉच अधिकारी द्वारा उक्त तीनों गवाहों के बयानों की प्रतियॉ प्रत्यावेदक को उपलब्ध नहीं करायी गयीं थीं और इनके बयानों को प्रत्यावेदक की उपस्थिति में दर्ज नहीं किया गया था। प्रत्यावेदक को विभिन्न तिथियों के पूर्व रिकार्डेड बयानों की प्रतियॉ दी गयीं। उपर्युक्त तीन गवाहों के बयानों की प्रतियॉ न दिये जाने के कारण जिरह (cross-examination) में प्रत्यावेदक को तीनों गवाहों के बयानों, वास्तविक तथ्यों को जानने एवं उनकी प्रति–परीक्षा (cross-examination) का अवसर नहीं मिला।

2(ग). महाविद्यालय प्रशासन द्वारा इंडेन गैस सिलेंडर के दुरूपयोग संबंधी लगाये गये आरोप संख्या 3 के विरुद्ध प्रत्यावेदक का कथन है कि उसके द्वारा आरोप–पत्र के सापेक्ष प्रेषित लिखित उत्तर में कहा गया था कि कॉलेज प्रशासन द्वारा उसे निजी उपयोग के लिये ऐसा कोई इंडेन गैस सिलेंडर कभी नहीं प्रदान किया गया था। प्रत्यावेदक ने स्वयं के पैसे से निजी उपयोग के लिये चेतना गैस एजेंसी से एक इंडेन गैस सिलेंडर खरीदा था, जबकि कथित इंडेन गैस सिलेंडर वास्तव में कॉलेज प्रशासन द्वारा कॉलेज के विभागाध्यक्ष, रसायन विज्ञान के नाम पर जारी किया गया था। इस सम्बन्ध में प्राचार्य कार्यालय के पास उपलब्ध रसीद दिनांक 08.03.2007 में स्पष्ट उल्लेख है, जिसे रसायन विज्ञान विभाग के स्टॉक रजिस्टर में भी अंकित किया गया था। प्रकरण से संबंधित सभी अभिलेख/दस्तावेज, प्राचार्य कार्यालय के पास उपलब्ध थे। प्रत्यावेदक द्वारा अपने पत्र दिनांक 13.01.2021 के माध्यम से जॉच अधिकारी से कॉलेज प्रशासन से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियॉ प्राप्त कर स्वयं को उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था, परन्तु उक्त दस्तावेजों की प्रतियॉ कॉलेज प्रशासन से प्राप्त कर प्रत्यावेदक को दिलाये जाने के बजाय, जॉच अधिकारी द्वारा कॉलेज प्रशासन को प्रस्तुत रिपोर्ट में उक्त दस्तावेज इस जॉच से संबंधित न होने और वर्तमान जॉच में प्रासंगिक न होने का उल्लेख किया गया है यदि यह दस्तावेज प्रत्यावेदक को उपलब्ध कराया गया होता तो इससे प्रत्यावेदक इस आरोप को गलत सिद्ध कर देता। जॉच अधिकारी द्वारा प्रत्यावेदक को पूछताछ के दौरान बचाव का अवसर प्रदान नहीं किया गया।

2(घ). प्रत्यावेदक द्वारा जॉच अधिकारी को पत्र दिनांक 24.02.2021 प्रस्तुत करते हुये जॉच के दौरान अपने बचाव में 11 गवाहों के नाम का उल्लेख किया गया था, लेकिन उनमें से केवल छः गवाहों को पेश किया गया और शेष पॉच गवाह प्रत्यावेदक के अनुरोध के बावजूद उपस्थित नहीं हुये। प्रत्यावेदक द्वारा इस विषय में जॉच अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया गया, परन्तु जॉच अधिकारी ने जानबूझकर उन गवाहों को बुलाने एवं उन्हें जॉच समिति के समक्ष प्रस्तुत करने पर ध्यान नहीं दिया गया। पॉचों गवाह जीवित व जॉच अधिकारी की पहुंच में थे, इन पॉच गवाहों को नहीं बुलाये जाने तथा प्रत्यावेदक के बचाव में उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों के विरुद्ध जॉच अधिकारी के

समक्ष उनका परीक्षण नहीं किये जाने के कारण उसके बचाव पक्ष में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

2(ड.) श्री विनीत कुमार, शिकायतकर्ता की शिकायत दिनांक 22.08.2013 एवं छात्रा मिंकल उर्फ खुशी तोमर द्वारा बी0एससी0 (शैक्षणिक सत्र 2013–14) का प्रवेश शुल्क विधि छात्र श्री विनीत कुमार द्वारा दुरुपयोग किये जाने और इसे कॉलेज में जमा नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदक का कथन है कि जून, 2013 में हमेशा की तरह प्रवेश हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन कराया गया था। विधि छात्र श्री विनीत कुमार द्वारा छात्रा सुश्री मिंकल उर्फ खुशी तोमर द्वारा बी0एससी0 (शैक्षणिक सत्र 2013–14) के प्रवेश हेतु शुल्क लिया गया था जबकि श्री विनीत कुमार द्वारा उक्त छात्रा को प्रवेश शुल्क जमा करने की कोई रसीद नहीं दी गयी। उक्त शुल्क जमा न करने तथा उसे खर्च कर देने पर छात्रा दिनांक 15 अगस्त, 2013 के आस–पास प्रत्यावेदक के पास आई और उसके द्वारा श्री विनीत कुमार द्वारा की गयी कथित ठगी के बारे में मौखिक रूप से प्रत्यावेदक को अवगत कराया गया। तत्समय तत्कालीन प्राधानाचार्य द्वारा प्रत्यावेदक को प्राक्टर के रूप में नामित किया गया था। श्री विनीत कुमार के कथित आरोपों के बारे में सुनने के बाद, प्रत्यावेदक द्वारा छात्रा को कॉलेज के चीफ प्राक्टर डा0 आर0एस0 सक्सेना से संपर्क करने का सुझाव दिया गया और फिर वह डा0 आर0एस0 सक्सेना के पास गयी। छात्र श्री विनीत कुमार के खिलाफ उसके आरोपों को सुनने के बाद, चीफ प्राक्टर डा0 आर0एस0 सक्सेना ने उक्त छात्रा की उपस्थिति में प्रत्यावेदक को अपने कक्ष में बुलाया और श्री विनीत कुमार के खिलाफ लगाये गये आरोपों के बारे में चर्चा की। श्री विनीत कुमार ने चीफ प्राक्टर को बताया कि उसने छात्रा के प्रवेश–शुल्क की राशि खर्च कर दी है और उसे वापस करने के लिये वह तैयार नहीं है। तदुपरान्त चीफ प्राक्टर ने प्रत्यावेदक को उक्त छात्र श्री विनीत कुमार के विरूद्ध कार्यवाही हेतु सुझाव देने के लिये कहा। प्रत्यावेदक द्वारा संदर्भित प्रकरण में मुख्य प्राक्टर को पुलिस को बुलाने, प्राथमिकी दर्ज करने और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही किये जाने हेतु उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर पुलिस को सौंप दिये जाने का सुझाव दिया गया। चीफ प्राक्टर के कक्ष में स्वयं को घिरता देखकर

और पुलिस स्टेशन भेजे जाने की आंशका से श्री विनीत कुमार ने चीफ प्राक्टर के उक्त निर्देश का पालन करने का झूठा आश्वासन दिया, जिसका उसके द्वारा कभी पालन नहीं किया गया और छात्रा का प्रवेश शुल्क भी वापस नहीं किया गया। श्री विनीत कुमार द्वारा चीफ प्राक्टर के कार्यालय कक्ष से निकलते हुये प्रत्यावेदक को परिणाम भुगताने की धमकी दी गयी थी, जिसे प्रत्यावेदक द्वारा तत्समय गंम्भीरता से नहीं लिया गया और उसके विरूद्ध कोई शिकायत भी नहीं की गयी, जिसके कम में श्री विनीत कुमार द्वारा शिकायती पत्र दिनांक 22.08.2013 में आरोपित किया गया कि 27 दिन पहले दिनांक 28.07.2013 को रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रत्यावेदक को एक छात्रा के साथ पसीने से तर हालत में देखा था, जो मनगढ़न्त है। दिनांक 22.08.2013 को महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य डॉ0 एन0पी0 सिंह द्वारा प्रत्यावेदक को बुलाकर उक्त शिकायत दिनांक 22.08.2013, जो शिकायतकर्ता एवं डॉ0 सुभाष चन्द्र द्वारा गढ़ी गयी है की सत्यता ज्ञात की गयी थी। प्राचार्य आश्चर्यचकित हो गये थे और छात्र श्री विनीत कुमार की झूठी शिकायत पर प्रत्यावेदक को अपने कक्ष में बुलाने के लिए खेद प्रकट करते हुए कॉलेज के छात्रों के एक वर्ग के बीच जिम्मेदारी और नैतिकता की गिरती भावना पर निराशा व्यक्त की गयी तथा मनगढ़न्त शिकायत मानते हुए इसे हटवा दिया गया था।

2(च). प्रत्यावेदक का यह भी कथन है कि महाविद्यालय प्रबन्ध तंत्र ने दिनांक 22.02.2020 को शिक्षकों की वरिष्ठता व परिनियम को नजरअंदाज करते हुए नियमविरुद्ध कार्यवाहक प्राचार्य की नियुक्ति कर दी थी। उस समय शिक्षक वेलफेयर एसोशिएशन का अध्यक्ष होने के कारण प्रत्यावेदक द्वारा प्रबन्ध तंत्र के उक्त अवैध निर्णय का विरोध करते हुए प्रबंध तंत्र से वार्ता का प्रयास किया गया किन्तु प्रबन्ध तंत्र के अडिग होने के कारण प्रत्यावेदक द्वारा प्रबन्ध तंत्र के उक्त निर्णय व कनिष्ठ शिक्षक की कार्यवाहक प्राचार्य पद पर नियुक्ति के विरूद्ध मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या ए–8128/2020 योजित की गयी जिससे प्रबन्ध समिति के आदेश दिनांक 02.12.2020 द्वारा प्रत्यावेदक को निलम्बित कर प्रकरण की जॉच हेतु सेवानिवृत्त अपर सत्र न्यायाधीश श्री अरूण कुमार सक्सेना को जॉच अधिकारी नामित किया गया। एक

कनिष्ठ शिक्षक को कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में नियुक्त किये जाने के विरुद्ध प्रत्यावेदक द्वारा योजित की गयी उपरोक्त याचिका के कारण ही कॉलेज प्रबन्धन ने प्रत्यावेदक को निलंबित करके उसके खिलाफ उक्त जॉच आदेश जारी किया है, जो पूर्णतया असत्य और दुर्भावनापूर्ण है। श्री विनीत कुमार की शिकायत के लगभग 08 वर्ष बाद प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रत्यावेदक के विरूद्ध कथित जॉच कराकर उसकी छवि खराब कर उसे परेशान किया जा रहा है। जॉच अधिकारी द्वारा प्रत्यावेदक को धुंधली, अस्पष्ट व द्वितीयक तथा असत्यापित प्रतियॉ दी गयीं। प्रत्यावेदक द्वारा वास्तविक तथ्यों से कुलपति को अपने पत्र दिनांक 12.07.2022 द्वारा अवगत कराया गया था किन्तु कुलपति द्वारा जॉच अधिकारी व महाविद्यालय स्तर से की गयी अनियमितताओं की उपेक्षा की गयी। प्रबन्ध तंत्र के पत्र दिनांक 08.12.2020 में जॉच समिति से प्रस्तावित दण्ड की संस्तुति की अपेक्षा न होने पर भी जॉच अधिकारी द्वारा प्रत्यावेदक हेतु दण्ड संस्तुत किया गया। प्रत्यावेदक की रैंक में कमी का दण्ड और उसके चरित्र पंजिका में एक साथ की गयी प्रतिकूल प्रविष्टियॉ प्रत्यावेदक के खिलाफ बहुत कठोर दंड हैं और उक्त कठोर सजा देने से पहले प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रत्यावेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जो संविधान के अनुच्छेद 311(2) अनुशासनात्मक कार्यवाही में दण्ड देने में आनुपातिकता के सिद्धान्त (doctrines of the proportionality in awarding the penalties) के विरुद्ध होने आदि कारणों से, प्रत्यावेदक द्वारा प्रबन्ध तंत्र की सिफारिश/निर्णय पर कुलपति द्वारा पारित अनुमोदनादेश दिनांक 25.08.2022 निरस्त कर उसे उपर्युक्त याचित अनुतोष प्रदान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. विपक्षी, मेरठ कॉलिज, मेरठ के अवैतनिक सचिव एवं प्राचार्य के कथन एक समान है। विपक्षीगण द्वारा प्रत्यावेदक के कथनों को असत्य, मनगढ़न्त बताते हुये मुख्यतः यह उल्लेख किया गया है कि प्रत्यावेदक को शैक्षणिक सत्र 2019–20 की परीक्षा में जानबूझकर तथा सक्षम प्राधिकारी के बिना किसी पूर्व अनुमति से अनुपस्थित पाये जाने के लिये, महाविद्यालय में वित्तीय अनियमितता किये जाने, महाविद्यालय में अनुशासहीनता, कर्तव्यों के प्रति अवज्ञा, धन का दुर्विनियोग किये जाने एवं नैतिक अधमता के लिए आरोपित होने पर तत्कालीन प्राचार्य/प्रबन्ध समिति द्वारा संज्ञान लेते

हुए आदेश दिनांक 02.12.2020 द्वारा निलम्बित किया गया था। प्रकरण की जॉच हेतु प्रबन्ध समिति के आदेश दिनांक 08.12.2020 द्वारा श्री अरूण कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी द्वारा आरोप पत्र तैयार कर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त प्रत्यावेदक को प्राप्त कराया गया था। प्रबन्ध समिति की ओर से तीन साक्षीगण कमशः डॉ0 सुभाषचन्द्र, डॉ0 बी0पी0 यादव एवं श्री विनीत कुमार को बतौर साक्षी प्रस्तुत किया गया तथा प्रत्यावेदक द्वारा अपने बचाव में मौखिक साक्ष्य के रूप में श्री हेम कुमार वर्मा, डॉ0 आर0एस0 सक्सेना, डॉ0 राम अवतार शर्मा, श्रीमती शहनाज जेहरा जैदी एवं श्री महेश श्रीवास्तव को प्रस्तुत किया गया। जॉच अधिकारी द्वारा आरोप–पत्र की प्रति प्राप्त होने के उपरान्त उभयपक्षों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। जॉच अधिकारी के द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों, संबंधित अधिनियम एवं उपनियमों का अनुपालन करते हुए प्रत्यावेदक के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए उसे महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2019–20 की परीक्षा में जानबूझकर तथा सक्षम प्राधिकारी के बिना किसी पूर्व अनुमति से अनुपस्थित पाये जाने के लिये एवं नैतिक अधमता का दोषी पाया गया। जॉच अधिकारी द्वारा प्रत्यावेदक को उन आरोपों का दोषी पाते हुए समुचित दण्डादेश पारित किये जाने हेतु की गयी अनुशंसा के कम में प्रबन्ध समिति द्वारा प्रत्यावेदक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कुलपति से दण्डादेश के परिप्रेक्ष्य में अनुमोदन प्राप्त कर प्रत्यावेदक के विरूद्ध दण्डादेश पारित किया गया, अतएव इस विषय में प्रत्यावेदक के कथन तर्कहीन एवं बलहीन होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

4. विश्वविद्यालय की आख्या में, प्रत्यावेदक के कथनों को असत्य एवं तथ्यों के विपरीत बताते हुये उल्लेख है कि प्रत्यावेदक के प्रत्यावेदन में जॉच अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का सम्बन्ध प्रकरण के गुण–दोष से नहीं है तथा यह आरोप प्रत्यावेदक द्वारा जॉच के समय नहीं लगाये गये थे। प्रत्यावेदक द्वारा विश्वविद्यालय के समक्ष यह तथ्य नहीं उठाया गया है कि उसको दिया गया आरोप पत्र महाविद्यालय प्रबन्ध तन्त्र द्वारा अनुमोदित नहीं है। प्रत्यावेदक द्वारा आरोप पत्र के अनुमोदित न होने वाला तथ्य

प्रथम बार कथित किया गया है। विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार जॉच अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत की गयी आख्या को महाविद्यालय प्रबन्ध तंत्र द्वारा पूर्णतः स्वीकार करते हुए अनुमोदित किया गया था। प्रत्यावेदक द्वारा जॉच अधिकारी के समक्ष सुनवाई के प्रत्येक दिवस पर स्वयं को प्रस्तुत कर जॉच की प्रकिया में सहभागिता की गयी है। यदि प्रत्यावेदक को जॉच अधिकारी के साक्ष्य को लिपिबद्ध करने के सम्बन्ध में आपत्तियॉ थीं तो उसे इन आपत्तियों को प्रथमतः जॉच अधिकारी के समक्ष व सुसंगत समय पर कुलपति के समक्ष प्रस्तुत करना था। प्रत्यावेदक द्वारा साक्ष्य को अभिलिखित किये जाने की कथित अनियमितता को जॉच अधिकारी एवं कुलपति के समक्ष प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप यह अवधारित किया जाएगा कि यह कथन आधारहीन व पश्च–विचार (after thought) हैं। अभिलेखों के अनुसार प्रत्यावेदक के पक्ष को सही पाते हुए उसे आरोप संख्या 03 का दोषी नहीं पाया गया है। गवाहों को प्रस्तुत करने का दायित्व प्रत्यावेदक पर था। प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत की गयी सूची में से पॉच गवाह जॉच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए जबकि इन पॉच गवाहों ने पत्र लिखकर प्रत्यावेदक के समर्थन में कथन किया था किन्तु पॉच में से कोई भी गवाह प्रति–परीक्षा हेतु जॉच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए जिससे इन पॉचों के द्वारा प्रस्तुत पत्र को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं माना गया है। प्रत्यावेदक द्वारा आरोप पत्र के विरुद्ध दिनांक 22.01.2021 एवं 05.02.2021 को जो उत्तर प्रस्तुत किया गया उसमें आरोप संख्या 04 के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया गया था। जॉच अधिकारी श्री अरुण कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश के विरुद्ध प्रत्यावेदक ने न तो जॉच स्तर पर तथा न ही विश्वविद्यालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी आपत्तियों में कोई आपत्ति की गयी थी। महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉ0 एन0पी0 सिंह एवं श्री विनीत कुमार के विरुद्ध कथन असत्य व अस्वीकार हैं। प्रत्यावेदक द्वारा उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों के विरुद्ध न तो कोई युक्तियुक्त साक्ष्य दिया गया है और न ही इस सम्बन्ध में कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्यावेदक को उसका पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया। प्रत्यावेदक के द्वारा किसी भी स्तर पर उसे द्वितीयक (secondary) प्रलेख उपलध कराये जाने का कथन नहीं किया

गया था, यदि प्रत्यावेदक उक्त द्वितीयक (secondary) प्रलेख से सन्तुष्ट नहीं था तो उसे जॉच के स्तर पर ही इस आपत्ति को प्रस्तुत करना चाहिए था। अपठनीय और असत्यापित प्रपत्रों की प्रतियॉ उपलब्ध कराये जाने की शिकायत प्रत्यावेदक द्वारा न तो जॉच के समय और न ही अनुमोदन की कार्यवाही के समय प्रस्तुत की गयी, जिसके अनुसार प्रत्यावेदक को उपलब्ध कराये गये अभिलेखों तथा उनकी गुणवत्ता/प्रकृति से प्रत्यावेदक संतुष्ट था। कुलपति द्वारा दोनों पक्षों को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान कर सकारण आदेश पारित किये गये हैं। प्रत्यावेदक द्वारा किसी भी स्तर पर जॉच अधिकारी की दण्ड को संस्तुत करने की शक्तियों को चुनौती नहीं दी गयी है। जॉच अधिकारी के द्वारा की गयी संस्तुतियों को महाविद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा सुसंगत समय पर अनुमोदित किया गया था जिससे प्रत्यावेदक का जॉच अधिकारी को दण्ड सम्बन्धी संस्तुति करने का अधिकार न होने सम्बन्धी कथन आधारहीन है। प्रत्यावेदक पर आरोप था कि वह महाविद्यालय में छात्रा के साथ आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा गया था। किसी भी शिक्षक का यह नैतिक दायित्व है कि वह छात्र/छात्राओं के समक्ष उत्कृष्ट, मर्यादित व सत्यनिष्ठ आचरण प्रस्तुत करे। प्रत्यावेदक का आचरण विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली के परिशिष्ट सी में उल्लिखित आचरण नियमावली के प्रतिकूल था। उक्त परिशिष्ट में शिक्षक से अपेक्षित है कि वह नैतिक अखण्डता का परिचय देगा। प्रत्यावेदक का महाविद्यालय की छात्रा के साथ आपत्तिजनक अवस्था में पाया जाना उसके शिक्षक के रूप में अपेक्षित आचरण से विपरीत है तदनुसार कुलपति द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए महाविद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा संस्तुत दण्ड को अनुमोदित किया गया है।

5. महाविद्यालय के अवैतनिक सचिव/प्राचार्य एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव के कथनों को अस्वीकार करते हुये प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर (Rejoinder) व अन्य पत्रों में उल्लेख किया गया है कि प्रकरण में तीन–सदस्यीय जॉच समिति के स्थान पर एकल सदस्यीय जॉच समिति का गठन किया गया तथा जॉच समिति द्वारा प्रत्यावेदक को पदावनत कर प्रतिकूल चरित्र प्रविष्टि की संस्तुति दी गयी। जॉच अधिकारी श्री अरुण सक्सेना को मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जबरन सेवानिवृत्त किया

गया है। जॉच अधिकारी द्वारा प्रत्यावेदक को पदावनत कर दी गयी प्रतिकूल चरित्र प्रविष्टि नियमानुकूल नहीं है, जिसके विरुद्ध विश्वविद्यालय को प्रेषित प्रत्यावेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिये जाने पर ही, कुलपति द्वारा उसका संज्ञान लेकर प्रत्यावेदक व प्रबन्ध तंत्र के पक्ष में सुनवाई की गयी, किन्तु प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत पत्राजातों व कथन पर संज्ञान न लेकर प्रबन्ध तंत्र द्वारा उसके विरुद्ध की गयी संस्तुति को दिनांक 25.08.2022 को अनुमोदित कर दिया गया। आरोप संख्या 04 के सम्बन्ध में प्रत्यावेदक द्वारा कोई कथन न किये जाने सम्बन्धी बिन्दु के सापेक्ष प्रत्यावेदक के जॉच अधिकारी को सम्बोधित पत्र दिनांक 22.01.2021 में उल्लेख है कि आरोप संख्या 03 एवं 04 का स्पष्टीकरण तभी सम्भव हो पायेगा जब जॉच अधिकारी अथवा कॉलेज प्रशासन के द्वारा प्रत्यावेदक द्वारा मांगे गये अन्य पत्राजात उपलब्ध करा दिये जायें। प्रकरण कुलाधिपति के समक्ष विचाराधीन होने पर भी प्रबन्ध तंत्र द्वारा आदेश दिनांक 20.09.2022 द्वारा प्रत्यावेदक को पदावनत कर कोई वेतन नहीं दिया गया तथा दिनांक 15.11.2022 को प्रत्यावेदक का वेतन बेसिक रू0 98200 निर्धारित कर दिया जिसका अनुमोदन निदेशक/वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा द्वारा अद्यतन अप्राप्त है। जॉच अधिकारी द्वारा दिनांक 10.02.2021 की निर्धारित गवाही की तिथि की नोटिस प्रत्यावेदक के सम्मुख नहीं की गयी थी तथा इससे संबंधित प्रत्यावेदक को कोई नोटिस भी उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। प्रबन्धतंत्र ने गवाहों के बयानों की छायाप्रति में से प्रत्यावेदक को केवल प्रथम गवाह डा0 सुभाष चन्द के बयान/जिरह दिनांक 10.02.2021 के अतिरिक्त अन्य किसी गवाह के बयान/जिरह की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी थी, प्रबन्धतंत्र के द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयानों/कथनों में विरोधाभाष है तथा गवाह षडयंत्र के तहत प्रस्तुत किये गये हैं। सुश्री मिंकल उर्फ खुशी तोमर के विषय में प्रबन्ध तंत्र का यह कथन कि यह विधिक राय के उपरान्त बताया गया है असत्य है जबकि सन्दर्भ में पूर्व में भी बताया गया है। जॉच अधिकारी द्वारा किन गवाहों की गवाही मान्य/अमान्य की गयी, इसकी कोई भी सूचना प्रत्यावेदक को मौखिक अथवा लिखित रूप में कभी भी उपलब्ध नहीं करायी गयी। प्रत्यावेदक का निलम्बन दिनांक 02.12.2020 को प्रबन्धतंत्र के कार्यवाहक सचिव

डा0 राम कुमार गुप्ता द्वारा किया गया था, जबकि प्रबन्धतंत्र का कार्यकाल दिनांक 05.08.2020 को समाप्त हो गया था। प्रत्यावेदक ने अपने निलम्बन के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कुलपति को प्रेषित पत्र दिनांक 09.12.2020 द्वारा अवगत कराया था और निलम्बन निरस्त करने का अनुरोध किया था। प्रत्यावेदक के कथनानुसार सम विषयक प्रकरण, डॉ0 प्रभात कुमार प्राचार्य, कृषक पी0जी0 कॉलेज, मवाना, मेरठ के साथ ही दिनांक 18.10.2022 को हुआ जिसमें कालातीत प्रबन्ध तंत्र द्वारा उनको निलम्बित कर दिया गया था, कुलपति ने अपने आदेश दिनांक 07.11.2022 में यह कहते हुए उनका निलम्बन निरस्त कर दिया था कि प्रबन्ध तंत्र का कार्यकाल दिनांक 13.01.2021 को समाप्त हो गया था। प्रत्यावेदक के निलम्बन का अनुमोदन कुलपति द्वारा चार सप्ताह में नहीं किया गया है, अतएव उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रत्यावेदक द्वारा उसे सह आचार्य के पद पर बहाल करते हुये समस्त परिणामी लाभ दिलाये जाने का अनुरोध किया गया है।

6. प्रकरण के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश दिनांक 25.08.2022 के सुसंगत अंश अवलोकनीय हैं जो निम्नवत् उद्धृत हैं :

Charge	***Finding***
Charge No. 1	***Held guilty*** *of causing willful neglect, misconduct, causing hindrance in smooth conduct of examinations*
Charge No. 2	*No ulterior motive or intention proved against Dr. Rajeev Rathore, yet a warning would suffice.*
Charge No. 3	*Exonerated.*
Charge No. 4	*Entire episode casts a shadow on the activity(ies) of Dr. Rajeev Rathore.* ***It is for sure that something was fishy and undesirable on the day, as reported.***

....

I have perused the entire record. The acts and omissions of Dr. Rajeev Rathore has been held to be in contravention of the code of conduct as laid in Appendix 'C' of the first Statutes of Meerut University. The perusal of the record has also makes it clear that the principles of natural justice have been adhered to during the inquiry proceedings. Charge no. 1 and Charge no. 4 are of very serious nature and involve dereliction of duties and moral turpitude. The finding of the Inquiry Officer while deciding charge No. 1 is that Dr. Rajeev Rathore was guilty of willful misconduct causing hindrance in smooth conduct of

examinations. Section 13(1)(e) of the Act mandates that the Vice-Chancellor of the University shall be responsible for holding and conducting University examinations, similarly, statutes 13.18.....

....

Similarly, the code of conduct of a teacher as prescribed in Appendix 'C' of the First Statutes of Meerut University expects to mould the character of the youth and also it is expected out the teacher to be a role model for moral leadership. The code of conduct further expects moral integrity and purity in thought, work and deed from a teacher.

In this case a shadow has been cast upon the on the moral integrity of Dr. Rajeev Rathore that he was caught red handed with an unidentified girl on a Sunday and the doors of the laboratory were closed, cast a shadow. Although the girl who was present in the laboratory on a holiday was not presented before the Enquiry Officer, nevertheless, a stigmatic and immoral character of Dr. Rajeev Rathore is fully reflected.

A person who wishes to continue as a teacher in a college should possess unblemished high moral character without a shade of blue. Any stigma on the character of a lecturer is detrimental to the repute of the organization.

The act of Dr. Rajeev Rathore of insubordination, indiscipline, non-cooperation and his unbecoming conduct with the woman is, for sure, is a clear violation of the code of conduct expected from a teacher. Nothing has been shown by Dr. Rajeev Rathore to conclusively prove that the punishment proposed by the management committee of the Meerut College Meerut is out of vengeance or is an outcome of whims. Mere contention of Dr. Rajeev Rathore that the imputations were procured by the college under some influence does not suffice.

Order

In light of the above discussion, the punishment proposed by the management committee of the Meerut College, Meerut for Dr. Rajeev Rathore, Department of Chemistry is approved in light of provisions of Section 35(2) of the U.P.State Universities Act, 1973."

7. प्रकरण में, जॉच अधिकारी श्री ए0के0 सक्सेना की जॉच रिपोर्ट दिनांक 19.03.2021 अवलोकनीय है, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् हैं :

***"..... Charge No. 4** : With regard to a complaint against Dr. Rajiv Rathore alleging matter of the moral turpitude. As per the complaint one Mr. Vineet Kumar and some other employee found Dr. Rajiv Rathore on Sunday, when the department was closed, in the lab and when the door was knocked by them he opened door an also found a unidentified girl with him for which he could not give any explanation. The matter was immediately reported to the Principal on phone by Mr. Vineet Kumar and later on after 26 days he also reported the*

matter in writing to department which was forwarded for action by Dr. Subhash Chandra. The matter is that of the year 2013. Complainant Mr. Vineet Kumar appearing as witness has confirmed the incident. Dr. Subhash Chandra and Dr. B.P. Yadav on 05.12.2020 complaining about other misconduct of Dr. Rathore also as a passing reference pointed towards the allegation.

Both the persons in the statement have asserted the facts Dr. Rathore in his defense presented Mr Hem Kumar who initially denied happening of any such incidents involving Dr. Rajiv Rathore but later accepted that he was not present anywhere in the college as it was a Sunday.

Dr. Rathore cross examined all the three witnesses levying various charges of misconduct against the witnesses and their involvement in different criminal activities, but no direct cross examination on the point of complaint was pointed out by him.

In reply of the charge he has said that it is scandalous act in which the entire Department especially Dr. Subhash Chand and Dr. B.P. Yadav who were hand-in-glove with Mr. Vineet Kumar have developed this false allegation against him. It is absolutely incorrect and false.

I have gone through the record and complaint and have minutely considered the oral evidence. Considering the entire material on record, I strongly feel that by imputing the character of others do not help you to say that you are innocent, because all other are guilty and sailing in the same boat. Although, neither the girl has been identified by any person nor any action against Dr. Rajiv Rathore was initiated taken for the last more than 7 years, but the entire episode casts a shadow on the activity(ies) of Dr. Rajiv Rathore. It is for sure that something fishy and undesirable happened on the day, as reported.

Under the aforesaid circumstances and discussions made hereinabove and in view of different complaints made against him by superior(s) time and again, I am firmly of the view that Dr. Rajiv Rathore is regularly in a habit to willfully avoid the directions of his superior which amounts to misconduct and is also in a habit to pick up "Bone of Contention" with other which amounts to breach of service condition and complete devotion to duty within the meaning of Statute 13.18/17.04 of First Statute of Meerut University. ***In view of the above I am of the opinion and recommend a minimum punishment of 1. Reduction in Rank, 2. An adverse remark in his character roll. Which will meet the ends of Justice."***

8. प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यावेदक के कथनानुसार छात्रा मिंकल उर्फ खुशी तोमर से छात्र श्री विनीत कुमार द्वारा प्रवेश शुल्क का दुर्विनियोग/गबन किये जाने, लैपटॉप दिलाने, कोई रसीद न दिये जाने एवं रसायन विज्ञान प्रयोगशाला आदि की

घटनाएं 15 अगस्त, 2013 के आस–पास की होना परिलक्षित होता है। श्री विनीत कुमार के शिकायती पत्र दिनांक 22.08.2013 के अनुसार 27 दिन पहले दिनांक 28.07.2013 को रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रत्यावेदक को एक छात्रा के साथ पसीने से तर देखा गया था। तत्समय महाविद्यालय द्वारा इस प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अगस्त, 2013 से लगभग 08 वर्ष बाद दिनांक 02.12.2020 को प्रत्यावेदक को निलम्बित कर सेवानिवृत्त अपर सत्र न्यायाधीश श्री अरुण सक्सेना की एकल सदस्यीय जॉच–समिति को नामित कर प्रकरण की जॉच करायी गयी। जॉच अधिकारी श्री सक्सेना के न्यायिक सेवा के दौरान किये गये गंभीर कदाचार के कारण मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 16.11.2018 को उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। एक कनिष्ठ शिक्षक को कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में नियुक्त किये जाने के विरुद्ध प्रत्यावेदक द्वारा उठाई गयी आपत्ति एवं योजित की गयी याचिका के कारण कॉलेज प्रबन्धन द्वारा प्रत्यावेदक को निलंबित करके उसके खिलाफ उक्त दुर्भावनापूर्ण जॉच प्रचलित की गयी है। शिकायतकर्ता द्वारा केवल यह कहा गया कि उसने कथित छात्रा को पसीने से तर देखा, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी पुष्टित नहीं किया गया है। शिकायतकर्ता श्री विनीत कुमार के कथनानुसार घटना की तिथि को महाविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा अपना नाम गोपनीय रखने की शर्त पर शिकायतकर्ता श्री विनीत कुमार को बताया गया कि रविवार के दिन प्रयोगशाला में प्रत्यावेदक के साथ कोई और है, तब शिकायतकर्ता श्री विनीत कुमार व उसके साथी घटनास्थल पर गये। जॉच में शिकायतकर्ता के साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं पीड़िता छात्रा के बयान अंकित नहीं किये गये हैं जो इस घटना के मुख्य गवाह है तथा प्रकरण के निस्तारणार्थ इनका बयान ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। रविवार के दिन की उक्त घटना से सम्बन्धित पीड़िता की कोई भी शिकायत/पत्रादि जो प्रत्यावेदक के विरुद्ध हो तथा घटना पर प्रकाश डालते हों, उपलब्ध नहीं हैं। जॉच रिपोर्ट व बयानों के अवलोकन से भी यह परिलक्षित हो रहा है कि गवाहों द्वारा छात्रा को पसीने से तर बतर देखा गया। विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 14.09.2023 में उल्लिखित छात्रा मिंकल उर्फ खुशी तोमर के शिकायती पत्र में उसके द्वारा श्री विनीत कुमार के विरुद्ध मानसिक शोषण की शिकायत की गयी है। यह शिकायत आवश्यक कार्यवाही

हेतु प्रधानाचार्य, मेरठ कॉलेज, मेरठ को अग्रसारित की गयी। कदाचित् यह शिकायत प्रत्यावेदक द्वारा ही अग्रसारित की गयी है। इससे यह भी प्रतीत हो रहा है कि शिकायतकर्ता द्वारा साजिशन कुचक्र रचा गया हो तथा प्रबन्ध तंत्र के विरुद्ध आवाज उठाने के विरुद्ध महाविद्यालय द्वारा लगभग 08 वर्ष बाद उक्त घटना दुर्भावनापूर्ण ढंग से प्रकाश में लाया जाना परिलक्षित हो रहा है, अतएव इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के कथन व तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं ।

9(अ). महाविद्यालय द्वारा अगस्त, 2013 की घटना के लगभग 08 वर्ष बाद इस प्रकरण की जॉच करायी गयी है। डॉ0 प्रभात कुमार, प्राचार्य, कृषक पी0जी0 कॉलेज, मवाना, मेरठ के साथ दिनांक 18.10.2022 को घटित समविषयक प्रकरण में कालातीत प्रबन्ध तंत्र द्वारा डॉ0 प्रभात कुमार को निलम्बित कर दिया गया था। एक प्रकरण में, कुलपति ने अपने आदेश दिनांक 07.11.2022 द्वारा इस आधार पर डॉ0 प्रभात कुमार का निलम्बन निरस्त/स्थगित कर दिया था कि प्रबन्ध तंत्र का कार्यकाल दिनांक 13.01.2021 को समाप्त हो गया था, किन्तु वर्तमान प्रकरण में, प्रत्यावेदक द्वारा प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से कुलपति को अपने पत्र दिनांक 12.07.2022 द्वारा अवगत कराये जाने पर भी कुलपति द्वारा जॉच अधिकारी व महाविद्यालय स्तर से की गयी अनियमितताओं की उपेक्षा करते हुए मनमाने ढंग से आरोप संख्या 04 प्रत्यावेदक पर पुष्ट न होने पर भी महाविद्यालय के प्रस्ताव को अनुमति प्रदान कर दिये जाने से प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय द्वारा समविषयक प्रकरणों में पृथक–पृथक मापदण्ड अपनाये जा रहे हैं जो 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रदत्त समानता एवं विधि के शासन की भावना का स्पष्ट उल्लंघन एवं मनमानेपन (arbitrariness) का द्योतक है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयज विधि व्यवस्था **ई.पी. रॉयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य, एआईआर 1974 एससी 555** एवं **मानेका गॉधी बनाम भारत संघ, एआईआर 1978 एससी 597** के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश दिनांक 25.08.2022 विधि की दृष्टि में ग्राह्य प्रतीत नहीं होता है।

9(ब). प्रकरण में, एकल–सदस्यीय जॉच रिपोर्ट दिनांक 19.03.2021 के निष्कर्षों के आधार पर महाविद्यालय द्वारा दिनांक 02.12.2020 को निलम्बित प्रत्यावेदक को सह–आचार्य से सहायक आचार्य पद पर पदावनत करने का निर्णय लेकर दिनांक 31.03.2021 को उक्त

संस्तुति कुलपति के अनुमोदनार्थ प्रेषित की गयी, जिसे कुलपति द्वारा लगभग पॉच माह बाद प्रत्यावेदक के आवेदन पर विचार किये/सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अधिनियम की धारा–35(2) के अन्तर्गत अनुमोदित कर दिया गया, जबकि प्रत्यावेदक/आरोपी द्वारा अपने ऊपर लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए उल्लेख किया गया है कि उस समय शिक्षक वेल्फेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष होने के कारण कनिष्ठ शिक्षक को प्राचार्य नियुक्त किये जाने के निर्णय का विरोध करते हुए प्रबन्धतंत्र से वार्ता का प्रयास किया गया किन्तु प्रबन्ध तंत्र के अडिग होने के कारण प्रत्यावेदक द्वारा प्रबन्ध तंत्र के उक्त निर्णय के विरूद्ध मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या ए–8128/2020 योजित की गयी जिससे रुष्ट होकर कॉलेज प्रबन्ध समिति के आदेश दिनांक 02.12.2020 द्वारा प्रत्यावेदक को निलम्बित कर, लगभग 08 वर्ष पूर्व की घटना व अन्य आरोपों का सृजन करते हुए आदेश जारी कर दिया गया है जो विधि की दृष्टि में उचित नहीं है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त यह है कि जब तक अपराध/आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध न हो जाए तब तक आरोपी/अपचारी को निर्दोष माना जाएगा। वर्तमान प्रकरण में, प्रत्यावेदक के विरुद्ध moral turpitude का आरोप कैसे साबित होता है यह समझ से परे है क्योंकि न तो मामले की पीड़िता/छात्रा का कोई बयान अभिलिखित है, न तो उक्त आरोप की पुष्टि हुई है और न ही पीड़िता/छात्रा की ओर से प्रत्यावेदक के विरुद्ध कोई शिकायत की गयी है।

9(स). प्रकरण में शिकायतकर्ता श्री विनीत कुमार के साथियों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिनके द्वारा घटना के दिन घटनास्थल पर श्री विनीत कुमार के साथ जाकर रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में कथित घटना देखा जाना कहा गया है, के भी बयान अंकित नहीं किये गये हैं जबकि वे भी घटना के महत्वपूर्ण साक्षी हैं। प्रत्यावेदक को पदावनत कर, प्रतिकूल चरित्र प्रविष्टि दिये जाने के विरुद्ध प्रत्यावेदक द्वारा विश्वविद्यालय को प्रेषित प्रत्यावेदन पर विश्वविद्यालय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी। प्रत्यावेदक के कथनानुसार मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर ही, विश्वविद्यालय द्वारा उसका संज्ञान लेकर सुनवाई की गयी है। प्रत्यावेदक द्वारा प्रस्तुत पत्राजातों का संज्ञान न लेकर प्रबन्ध तंत्र द्वारा उसके विरुद्ध की गयी संस्तुति को दिनांक 25.08.2022 को

विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया। अतएव विश्वविद्यालय का यह कथन कि प्रत्यावेदक को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है उचित नहीं है। यह प्रकिया नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों का ही एक अंग है जिसे जॉच समिति एवं विश्वविद्यालय द्वारा उपेक्षित नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निर्णयज विधि **रूप सिंह नेगी बनाम पंजाब नेशनल बैंक व अन्य, (2009) 2 एससीसी 570** अवलोकनीय है जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि *"The provisions of the Evidence Act may not be applicable in a departmental proceeding but the principles of natural justice are. As the report of the Enquiry Officer was based on merely* ipse dixit *as also surmises and conjectures, the same could not have been sustained. The inferences drawn by the Enquiry Officer apparently were not supported by any evidence. Suspicion, as is well known, however high may be, can under no circumstances be held to be a substitute for legal proof."* जिसके आलोक में विधिक दृष्टि से स्वीकार किये जाने वाले उचित साक्ष्यों के आधार पर ही ऐसे प्रकरणों में निर्णय लिया जाना चाहिए।

10. प्रत्यावेदक के प्रकरण के संदर्भ में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निर्णयज विधि **आर. महालिंगम् बनाम चेयरमैन, टीएनपीएससी, एआईआर 2013 एससी 2225** भी अवलोकनीय है जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में साक्ष्य के विपरीत अंकित किये गये निष्कर्ष के आधार पर दिये जाने वाले दण्ड को निरस्त किया जा सकता है, जिसके आलोक में जॉच रिपोर्ट में साक्ष्य के विपरीत अंकित किये गये निष्कर्ष के आधार पर दिये जाने वाले दण्ड को निरस्त किया जाना विधिसम्मत होगा।

11. जॉच रिपोर्ट के अंत में यह निष्कर्ष अंकित किया गया है कि *"I am firmly of the view that Dr. Rajiv Rathore is regularly in a habit to willfully avoid the directions of his superior which amounts to misconduct and is also in a habit to pick up "Bone of contention" with other which amounts to breach of service condition and complete devotion to duty within the meaning of Statute 13.18/17.04 of First Statute of Meerut University.* ***In view of the above I am of the opinion and***

recommend a minimum punishment of : 1. Reduction in Rank & 2. An adverse remark in his character roll. Which will meet the ends of Justice." किन्तु जॉच रिपोर्ट से यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त जॉच प्रारंम्भिक जॉच थी, तथ्यान्वेषी जॉच थी अथवा अन्तिम जॉच थी? सामान्यतया जॉच अधिकारी द्वारा आरोप सिद्ध होने पर भी आरोपी के विरुद्ध किसी प्रकार के दण्ड की संस्तुति नहीं की जाती है जबकि प्रश्नगत प्रकरण में एकल–सदस्यीय जॉच समिति द्वारा सरसरी तौर पर जॉच सम्पन्न करते हुए आरोपी/प्रत्यावेदक के विरुद्ध वृहद् दण्ड की संस्तुति कर दी गयी है जो विधिक दृष्टि से उचित नहीं है।

12. जॉच अधिकारी द्वारा प्रत्यावेदक/बचाव पक्ष के सभी गवाहों के बयान अंकित नहीं कराये गये हैं तथा कतिपय बयानों को मान्य नहीं करते हुए उल्लेख किया गया है कि गवाहों को जॉच अधिकारी के समक्ष उपस्थित कराने का दायित्व प्रत्यावेदक पर था। आरोपों की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जॉच अधिकारी का यह कर्तव्य था कि वह जॉच समिति के समक्ष बचाव पक्ष के गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए उनके बयानों को दर्ज कर न्यायसंगत निष्कर्ष निकालते, परन्तु जॉच अधिकारी द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि जॉच की कार्यवाही मात्र सरसरी तौर पर की गयी है।

13. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा **आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाम एन. राधाकृष्णन, एआईआर 1998 एससी 1833** में यह अवधारित किया गया है कि न्यायालय/सक्षम प्राधिकारी को सभी प्रासंगिक कारकों एवं कार्यवाही में हुए विलम्ब को ध्यान में रखते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही को समाप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रकरण में, लगभग 08 वर्ष का विलम्ब असामान्य विलम्ब है एवं इस विलम्ब के सम्बन्ध में, न तो जॉच अधिकारी और न ही महाविद्यालय द्वारा कोई स्पष्टीकरण/कारण दिया गया है। यदि प्रकरण में विलम्ब स्पष्ट है तो अपचारी के प्रति पूर्वाग्रह भी स्पष्ट है तथा विलम्ब से अपचारी को न्याय नहीं मिल पाता है। विलम्ब से अपचारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जब तक कि यह न सिद्ध हो जाये कि अपचारी विलम्ब के लिए दोषी है।

14. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा **डिप्टी कमिश्नर केवीएस बनाम जे. हुसैन, एआईआर 2014 एससी 766** (पैरा 6) में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अपराधी को दिये जाने वाले दण्ड का निर्धारण करने के सम्बन्ध में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी के पास अपने विवेकानुसार अपचारी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, गंभीरता, अपचारी का पिछला आचरण, अपचारी को सौंपे गये कार्यों की जिम्मेदारी, पिछले दण्ड को ध्यान में रखने के साथ ही वह जिस संस्थान में कार्यरत है वहां अनुशासन बनाये रखना आवश्यक होने एवं यदि कोई परिस्थिति हो तो उसे कम करना भी आवश्यक होता है जिसके सापेक्ष जॉच अधिकारी द्वारा आरोप संख्या 01 व 04 के सापेक्ष दिये गये दो दण्ड की मात्रा/अनुपात भी देखना आवश्यक है। प्रत्यावेदक के प्रकरण में अपचारी/प्रत्यावेदक को किस आरोप के सापेक्ष कौन सा दण्ड दिया गया है एवं दण्ड की मात्रा के सम्बन्ध में उपरोक्त आधारों पर जॉच अधिकारी द्वारा विवेकपूर्ण निर्णय लिया जाना परिलक्षित नहीं हो रहा है।

15. जॉच अधिकारी/प्रबन्ध तंत्र द्वारा जॉच रिपोर्ट में प्रत्यावेदक के विरुद्ध प्रस्तावित दो दण्डों के विरुद्ध प्रत्यावेदक को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार आवश्यक है कि अपचारी जिसके विरुद्ध गंभीर आरोप लगाये गये हैं उसे जॉच कार्यवाही में, स्वयं के बचाव के लिए युक्तियुक्त तथा समुचित अवसर प्रदान किया जाये। यदि अपचारी को उपरोक्त प्रकार से पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है तो ऐसी जॉच रिपोर्ट दूषित मानी जायेगी तथा निरस्त किये जाने योग्य होगी। इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत निर्णयज विधि **प्रबन्ध निदेशक, ईसीआईएल, हैदराबाद बनाम बी. करुणाकर व अन्य, (1993) 4 एससीसी 727 (पॉच–सदस्यीय न्यायपीठ)** अवलोकनीय है जिसके अनुसार अपचारी को विभागीय जॉच में जॉच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गयी जॉच रिपोर्ट के विरुद्ध अपना प्रत्यावेदन देने का अधिकार विधि द्वारा प्राप्त है। वर्तमान प्रकरण में, प्रत्यावेदक को जॉच रिपोर्ट के विरुद्ध प्रत्यावेदन प्रदान किये जाने का अवसर प्रदान किया जाना परिलक्षित नहीं हो रहा है।

16. उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा–68 के अंतर्गत कुलाधिपति को अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में दर्ज तथ्यों के निष्कर्षों का परीक्षण करने/उन पर प्रश्न उठाने की शक्ति प्राप्त है। इस सन्दर्भ में मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा **रिट याचिका संख्या 29420/2010 प्रो0 एमटीएम खान बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य** में पारित निर्णयादेश दिनांक 10.08.2015 अवलोकनीय है जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि उक्त अधिनियम, 1973 की धारा 68 के अधीन कुलाधिपति को प्राप्त शक्ति एक व्यापक शक्ति है जो कुलाधिपति को उन तथ्यों के मुद्दों की भी जॉच करने का क्षेत्राधिकार प्रदान करता है जो किसी संकाय सदस्य को दण्डित करने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दर्ज किये गये निष्कर्षों पर सवाल उठाने के उद्देश्य से उसके समक्ष उठाये जा सकते हैं। जॉच अधिकारी द्वारा प्रकरण में दिये गये दण्ड साक्ष्य–विहीन एवं विकृत परिलक्षित होते हैं। प्रकरण में कोई पुष्टित साक्ष्य न होने के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यावेदक पर आरोप संख्या 04 स्थापित व सिद्ध है तदनुसार कुलाधिपति सम्बन्धित दलीलों/तर्कों पर विचार कर अपना निष्कर्ष स्थापित कर सकते हैं।

17. उपर्युक्त से स्पष्ट है कि आरोप संख्या 04 के सन्दर्भ में पीड़िता व अन्य महत्वपूर्ण साक्षियों के बयान इत्यादि अंकित नहीं कराये गये हैं। केवल संदेह के आधार पर नैतिक अधमता जैसा गंभीर आरोप, जॉच अधिकारी एवं महाविद्यालय द्वारा प्रत्यावेदक के विरुद्ध साबित होना मान लिया गया है। प्रत्यावेदक द्वारा पत्र दिनांक 22.01.2021 के माध्यम से जॉच अधिकारी से सम्बन्धित प्रपत्र मांगे गये किन्तु महाविद्यालय/जॉच अधिकारी द्वारा उक्त प्रपत्र प्रत्यावेदक को उपलब्ध कराया जाना स्पष्ट नहीं है। प्रत्यावेदक के पत्र दिनांक 19.01.2023 के अनुसार भी प्रत्यावेदक को गवाहों के बयान/जिरह आदि की प्रतियॉ उपलब्ध न कराया जाना तथा प्रबन्ध तंत्र द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयानों/कथनों में स्पष्ट विरोधाभास होने का कथन किया गया है। महाविद्यालय द्वारा प्रत्यावेदक के शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन का पदाधिकारी होने का विरोध किया गया है जबकि प्रत्यावेदक द्वारा अपने प्रत्युत्तर

दिनांक 19.01.2023 द्वारा शिक्षक वेल्फेयर एशोसिएशन होने की पुष्टि की गयी है। विधि का यह सामान्य सिद्धान्त है कि आरोपी को सन्देह का लाभ प्रदान किया जाता है जबकि वर्तमान प्रकरण में, आरोप संख्या 04 पुष्ट न होने तथा घटना fishy प्रतीत होने पर भी प्रत्यावेदक को दोषसिद्ध मानते हुए जॉच अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर दो–दो दण्ड दिये गये हैं, जो नियमानुकूल नहीं है तथा उपलब्ध प्रपत्रों/अभिलेखों, जॉच रिपोर्ट व बयानादि से आरोप संख्या 04 प्रत्यावेदक पर विधि की दृष्टि में सिद्ध नहीं माना जा सकता है।

18. आरोप संख्या 01 के विरुद्ध प्रत्यावेदक का कथन है कि कोविड–19 महामारी के दौरान विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शुरू होने पर शासन के निर्देशानुसार महामारी से बचाव हेतु पर्याप्त उपाय न किये जाने तथा हृदय रोग से ग्रस्त व प्रत्यावेदक की एंजियोग्राफी हो जाने के कारण कोविड–19 गाइडलाइन के अनुसार परीक्षा ड्यूटी के लिए बाध्य नहीं था। इसका विरोध अन्य शिक्षकों द्वारा भी किया गया किन्तु उनके विरोध को नजरन्दाज कर केवल प्रत्यावेदक पर ही अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी है बतौर गवाह उन शिक्षकों को बुलाया जा सकता है। आरोप संख्या 02 में प्रत्यावेदक पर कोई मकसद या इरादा सिद्ध न होने के कारण उसे मात्र एक चेतावनी दिया जाना पर्याप्त पाया गया है। आरोप संख्या 03 सिद्ध न होने के कारण इस आरोप से प्रत्यावेदक को बरी कर दिया गया है। आरोप संख्या 04 के सम्बन्ध में पीड़िता व अन्य महत्वपूर्ण साक्षियों के बयान इत्यादि अंकित कराये बिना, केवल संदेह के आधार पर नैतिक अधमता जैसा गंभीर आरोप जॉच अधिकारी द्वारा प्रत्यावेदक के विरुद्ध सिद्ध होना मानते हुए सह आचार्य के पद से सहायक आचार्य के पद पर प्रत्यावेदक को पदावनत किये जाने सम्बन्धी संस्तुति की गयी है जबकि प्रत्यावेदक के कथनानुसार आरोप संख्या 01 व 04 से सम्बन्धित अभिलेख उसे उपलब्ध नहीं कराये गये हैं तथा वर्ष, 2013 में ही प्रश्नगत अधमता की घटना की पूर्ण जॉच/कार्यवाही कराये बिना लगभग 08 वर्ष पश्चात प्रत्यावेदक को वृहद दण्ड दिये गये हैं। आरोप संख्या 04 के आरोप की पुष्टि न होने के कारण जॉच रिपोर्ट एवं

सम्बन्धित आदेश दिनांक 25.08.2022 विधि की दृष्टि में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं हैं।

19. अतएव प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, उपर्युक्त विधि व्यवस्थाओं एवं विवेचन के आलोक में, विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश दिनांक 25.08.2022 व सम्बन्धित जॉच रिपोर्ट दिनांक 19.03.2021 को निरस्त किया जाता है।

Anandi Patel

(आनंदीबेन पटेल)
कुलाधिपति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. डॉ0 राजीव राठौर, पूर्व सह आचार्य एवं वर्तमान सहायक आचार्य, रसायन विभाग, मेरठ कॉलेज, मेरठ।
2. डा0 ओम प्रकाश अग्रवाल, अवैतनिक सचिव, प्रबन्ध समिति, मेरठ कॉलेज, मेरठ।
3. प्राचार्य, मेरठ कॉलेज, मेरठ।
4. कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

19/3/24

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।

19.03.2024

19-3-24

19/3/24

19.03.24